वर्ष 47 अंक 4
30 अप्रेल 2017

मेवाड़ चेम्बर पत्रिका

(मेवाड़ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री का मासिक पत्र)

उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़
राजसमन्द एवं भीलवाड़ा का सम्भागीय चेम्बर

मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री
मेवाड़ चेम्बर भवन, नागौरी गार्डन, भीलवाड़ा (राज.) 311 001 फोन : 01482-220908, 238948
Email : mcci@mccibhilwara.com Visit us : www.mccibhilwara.com

22 अप्रेल 2017 को हाईटेक एग्रीकल्चर एवं ग्रीन हाउस इण्डस्ट्रीज पर कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए चेम्बर के मानद महासचिव श्री आर के जैन

कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति देते हुए मुख्य वक्ता कृषि विभाग से सेवानिवृत संयुक्त निदेशक श्री अशोक शर्मा।

कार्यशाला में उपस्थित चेम्बर के सदस्य एवं अन्य अतिथिगण।

28 अप्रेल 2017 को विविंग उद्यमियों को सम्बोधित करते हुए नगर विकास न्यास की विशेषाधिकारी निमिषा गुप्ता।

विविंग उद्यमियों के साथ नगर विकास न्यास की विशेषाधिकारी निमिषा गुप्ता।

MEWAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Mewar Chamber Bhawan, Nagori Garden
Bhilwara 311 001 (Raj.) ✆ 01482-220908 Fax : 01482-238948
✉ mcci@mccibhilwara.com 🌐 www.mccibhilwara.com

OFFICE BEARERS

	OFFICE	MOBILE
President Mr. Dinesh Nolakha dinesh@nitinspinners.com	01482-286111	98281-48111
Sr. Vice President Mr. J. K. Bagrodia jkbagrodia1@gmail.com	01482-242435	94141-10754
Vice Presidents Mr. N. N. Jindal jindalmarblepl@gmail.com	01472-240148	94147-34834
Mr. R. P. Dashora rajendra.dashora@vedanta.co.in	01483-229011	73404-33333
Mr. Rajender Gaur rajender.gaur@jindalsaw.com	01482-246188	77270-09276

	OFFICE	MOBILE
Hony. Secretary General Mr. R.K. Jain mcci@mccibhilwara.com	220908, 238948	94141-10844
Hony. Joint Secretary Mr. K.K. Modi kamal_modtex@yahoo.co.in	01482-247502	98290-46497
Hony. Treasurer Mr. V. K. Mansingka mansingkav@yahoo.com	01482-253300	94141-12123
Executive Officer Mr. M.K.Jain mcci@mccibhilwara.com	220908	94141-10807

AFFILIATION

At the International Level : International Chamber of Commerce, Paris (France)

At the National Level : Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry, (FICCI) New Delhi
Indian Council of Arbitration, New Delhi
National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD), New Delhi.
Confederation of All India Traders, New Delhi

At the State Level : Rajasthan Chamber of Commerce & Industry, Jaipur.
: The Employers Association of Rajasthan, Jaipur.
: Rajasthan Textile Mills Association, Jaipur

REPRESENTATION IN NATIONAL & STATE LEVEL COMMITTEES

All India Power loom Board, Ministry of Textile, Govt. of India, New Delhi
National Coal Consumer Council, Coal India Ltd., Kolkata
State Level Tax Advisory Committee, Govt. of Rajasthan, Jaipur
State Level Industrial Advisory Committee, Govt. of Rajasthan, Jaipur
Regional Advisory Committee, Central Excise, Jaipur
Foreign Trade Advisory Committee, Public Grievance Committee, Customs, Jaipur
DRUCC/ZRUCC of North Western Railways

मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, भीलवाडा
कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 08.04.2017

मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की कार्यकारणी समिति की बैठक दिनांक 08.04.2017 को मेवाड़ चेम्बर भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा ने की। श्री नौलखा ने नवनिर्वाचित कार्यकारणी के सभी सदस्यों का स्वागत किया।

1 मानद महासचिव श्री आर के जैन ने बताया कि गत बैठक वार्षिक आमचुनाव के साथ दिनांक 23.03.2017 को आयोजित हुई थी। इसका कार्यवाही विवरण उन्होंने पढकर सुनाया। उपस्थित सदस्यों ने दिनांक 23.03.2017 की बैठक की कार्यवाही विवरण की पुष्टि की।

2 निम्न सदस्यों ने अनुपस्थिति चाही जो स्वीकृत की गई –

श्री अनिल मानसिंहका	शारदा स्पनटेक्स प्रा लि
श्री वी के सोडानी	संगम इण्डिया लिमिटेड (प्रोसेस डिविजन)
श्री अतुल सोमाणी	ए के सोमाणी एण्ड एसोसियेट्स

3 चेम्बर के बैंक खाते का संचालन हेतु नये पदाधिकारियों का मनोनयन :–

मानद महासचिव श्री आर के जैन ने बताया कि चेम्बर का बचत बैंक खाता आईसीआईसीआई बैंक में खाता नम्बर 666301030751 से है। वर्तमान में इसके संचालन हेतु पूर्व पदाधिकारी के रुप में अध्यक्ष श्री अनिल मानसिंहका, मानद महासचिव श्री एस पी नाथानी एवं कोषाध्यक्ष श्री दीपक अग्रवाल अधिकृत थे एवं तीन में से कोई दो के हस्ताक्षर से संचालन हो रहा था। चुनाव के बाद सभी पदाधिकारी बदलने से नये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नामों की स्वीकृति कार्यकारणी समिति से होनी चाहिए। तद्नुसार यह प्रस्ताव पास किया गया कि :–

चेम्बर का बचत बैंक खाता आईसीआईसीआई बैंक में खाता नम्बर 666301030751 से है। इसके संचालन हेतु अध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा, मानद महासचिव श्री आर के जैन एवं कोषाध्यक्ष श्री विनोद मानसिंगका को अधिकृत किया जाता है एवं पूर्वतः तीन में से कोई दो के हस्ताक्षर से खाते का संचालन किया जाए।

4 चेम्बर की विभिन्न उपसमितियों का पुर्नगठन :–

मानद महासचिव श्री आर के जैन ने बताया कि उपसमितियों के पुर्नगठन के लिए नाम मांगे गये थे। कई सदस्यों से नाम प्राप्त हुए एवं गत बैठकों में उपस्थिति के आधार एवं नये सदस्यों को जोडने की भावना से उपसमितियों की रुपरेखा बनाई गई है। उनके नामों की घौषणा एवं सदस्यों के आपसी विचार विमर्श एवं सुझावों के बाद उपसमितियों का निम्नानुसार पुर्नगठन किया गया।

क्र.सं.	**लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई)सलाहकार समिति**			मोबाईल	ईमेल
1	श्री राजीव मुखिजा	**चेयरमेन**	न्यटेक ग्लोबल लिमिटेड	98290-45454	info@nutechglobal.com
2	श्री पुष्पेन्द्र बेसवाल	सदस्य	सुरज सिन्थेटिक्स प्रा लि	94141-12633	pbeswal@hotmail.com
3	श्री सरण खेमका	सदस्य	अचिंत केमीकल्स	98290-46036	achintchemicals@gmail.com
4	श्री आर पी बल्दवा	सदस्य	भीलवाडा पोलिस्टर प्रा लि	98290-46664	bhl.poly@gmail.com
5	श्री डी एल सोमाणी	सदस्य	बनवारी ग्रामोद्योग संस्थान	94141-11471	sales@washwell.in
6	श्री श्याम कुमार डाड	सदस्य	क्विक सर्विसेज	94143-72039	shyamdad@bsnl.in
7	श्री एन के जिन्दल	सदस्य	आरती सुटिंग प्रा लि	94133-56178	aartisuitings@gmail.com
8	श्री के एस सेठिया	सदस्य	जैन बसन्त स्पीनर्स	94141-48474	kiran.s.sethia@gmail.com
9	श्री एस एन इनानी	सदस्य	सत्यम सिन्कोटेक्स प्रा लि	98290-46843	satyamsyncotex@gmail.com
10	श्री गजानन्द बजाज	सदस्य	श्री बजाज सुटिंग प्रा लि	98290-45208	shreebajaj@gmail.com
11	श्री सुरेन्द्र सकलेचा	सदस्य	सुधीर सिन्थेटिक्स प्रा लि	94141-15394	sudhirsuitings@gmail.com
12	श्री एस के सोडानी	सदस्य	सुख सागर सिन्थूटिक्स प्रा लि	98290-46096	satkarsulz@yahoo.com
	वृहत उद्योग सलाहकार समिति				
1	श्री आर पी सोनी	**चेयरमेन**	संगम ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज	98290-45411	rpsoni@sangamgroup.com
2	श्री आर एल नौलखा	सदस्य	नितिन स्पिनर्स लि	98281-48222	rln@nitinspinners.com
3	श्री प्रकाश माहेश्वरी	सदस्य	आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड	94141-66645	prakash.maheshwari@lnjbhilwara.com
4	श्री एस सी गर्ग	सदस्य	आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड, मण्डपम	94141-13607	scgarg@lnjbhilwara.com
5	श्री जे सी सोनी	सदस्य	बीएसएल लिमिटेड	93510-06222	jcsoni@bslsuitings.com

क्र.सं.	वृहत उद्योग सलाहकार समिति			मोबाईल	ईमेल
6	श्री एम एल गोयल	सदस्य	जे के सिमेन्ट वर्क्स, निम्बाहेडा	98292-46809	ml.goyal@jkcement.com
7	श्री वी के हमीरवासिया	सदस्य	बिड़ला कॉरपोरेशन लि	94141-09401	vkh@birlacement.com
8	श्री विमल सोनी	सदस्य	आदित्य सिमेन्ट	98874-80006	vimal.soni@adityabirla.com
9	श्री दुर्गेश बांगड	सदस्य	कंचन इण्डिया लिमिटेड (स्पिनिंग डिविजन)	93512-10777	kanchanbhl@rediffmail.com
10	श्री अनिल मिश्रा	सदस्य	जे के टायर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	97999-99914	anilmishra@ktp.jkmail.com
11	श्री आर पी दशोरा	सदस्य	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	80030-99066	rajendra.dashora@vedanta.co.in
12	श्री आर एस आचार्य	सदस्य	जिन्दल शॉ लिमिटेड	80036-99872	rs.acharya@jindalsaw.com
	प्रोसेस हाउस सलाहकार समिति				
1	श्री वी के सोडानी	**चेयरमेन**	संगम इण्डिया लि	98290-45433	vksodani@sangamgroup.com
2	श्री सचिन राठी	सदस्य	पुजा स्पिनटेक्स प्रा लि	98290-45533	pujaspintex@gmail.com
3	श्री आर एन मित्तल	सदस्य	जानकी कॉर्प लि	94141-15957	jankicorp@yahoo.co.in
4	श्री आर एल काबरा	सदस्य	रोलेक्स प्रोसेसर्स प्रा लि	93517-11102	wiprobhl@rediffmail.com
5	श्री मोहित भीमसरिया	सदस्य	रंजन पोलिस्टर्स लि	94133-56095	ranjanpoly@gmail.com
6	श्री ए के मेहता	सदस्य	बीएसएल लिमिटेड (प्रोसेर्स डिविजन)	93521-11222	akmehta@bslsuitings.com
7	श्री दुर्गेश बांगड	सदस्य	कंचन इण्डिया लिमिटेड (प्रोसस डिविजन)	93512-10777	kanchanbhl@rediffmail.com
8	श्री अनिल सोनी	सदस्य	अन्नत सिनटेक्स लि	98290-46756	anantsyntexlimited@gmail.com
9	श्री एस के सुराना	सदस्य	सोना प्रोसेस (इण्डिया) लिमिटेड	98290-46277	sonaprocess@gmail.com
10	श्री के सी बाहेती	सदस्य	रोनक प्रोसेसर्स प्रा लिमिटेड	94141-11847	ronakprocessorspvtltd@gmail.com
11	श्री आर एस कन्दोई	सदस्य	एस आर एस सिन्टेक्स लिमिटेड़	98290-45443	sanwariyaji@rediffmail.com
12	श्री एस एन सोनी	सदस्य	स्वास्तिक प्रोसेसर्स	94144-20006	ssl234bhl@gmail.com
13	श्री गिरीश गुप्ता	सदस्य	सल्जर प्रोसेसर्स प्रा लि	98290-46225	sulzerprocess@gmail.com
14	श्री संजय अग्रवाल	सदस्य	सर्वोदय इण्डिया लिमिटेड	98290-46105	sarvodayaindialtd@gmail.com
15	श्री नन्द लाल जालान	सदस्य	साईलीला प्रोससेर्स प्रा लि	93521-12700	saileela.process@gmail.com
	विविंग मिल्स सलाहकार समिति				
1	डॉ पी एम बेसवाल	**चेयरमेन**	रंजन सूटिंग्स प्रा लि	98290-45427	pmbeswal@gmail.com
2	श्री एस एल पानगड़िया	सदस्य	शुभलक्ष्मी सिन्टेक्स लिमिटेड	94141-15571	slpanagaria@gmail.com
3	श्री संजय पेडीवाल	सदस्य	अध्यक्ष, सिन्थेटिक विविंग मिल्स एसोसियेशन	98290-45566	swmabhilwara@gmail.com
4	श्री अतुल शर्मा	सदस्य	कलर्स सल्जर प्रा लि	94141-11640	caankitsharma@yahoo.com
5	श्री आर एस कन्दोई	सदस्य	एस आर एस सिन्टेक्स लिमिटेड़	98290-45443	sanwariyaji@rediffmail.com
6	श्री एन के जिंदल	सदस्य	आरती सुटिंग प्रा लि	94133-56178	aartisuitings@gmail.com
7	श्री डी एम भडकतिया	सदस्य	जेन्टलमेन सुटिंग प्रा लि	98290-45591	gentlemanplus1@yahoo.com
8	श्री आर पी झंवर	सदस्य	प्राइमरा सल्ज प्रा लि	93521-45501	primerasulz@gmail.com
9	श्री सी एस कोठारी	सदस्य	श्री भरखा सिन्थेटिक्स लि	98290-45370	bdahinsa2001@yahoo.co.in
10	श्री दीपक अग्रवाल	सदस्य	एम आर विविंग मिल्स प्रा लि	98290-67400	deepak@babacollection.com
11	श्री अनिल बुलिया	सदस्य	स्वास्तिक टेक्सटाइल्स	98290-46744	goodwill1@bsnl.in
12	श्री के सी नुवाल	सदस्य	सोलर सिन्थेटिक्स प्रा लि	94141-14645	fabric@solarsuiting.com
13	श्री एस के गोयनका	सदस्य	सुमंगलम सुटिंग प्रा लि	98290-51900	myayarns@datainfosys.net
	रेलवे एवं लोजिस्टिक सलाहकार समिति				
1	श्री वी के मानसिंगका	**चेयरमेन**		94141-12123	mansingkav@yahoo.com
2	श्री अशोक कुमार बाहेती	सदस्य	शुभम मिनकेम प्रा लि	94133-56347	shubcoal@bsnl.in
3	श्री सुरेश कुमार शर्मा	सदस्य	रिद्धी सिद्धी इकोलोजिस्टिक प्रा लि	98292-72668	suresh@riddhisiddhiecologistics.com
4	श्री सनमति जैन	सदस्य	श्री गुड्स केरियर्स	94141-14716	scplbhilwara@gmail.com
5	श्री मोहन सिंह	सदस्य	ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	93522-12467	singh.mohan@kanoria.org
6	श्री प्रदीप जवेरी	सदस्य	श्री प्रदीप जवेरी	94141-11357	shreejibaba@yahoo.co.in
7	श्री नन्दलाल नराणीवाल	सदस्य	चारभुजा इस्पात इण्डिया प्रा लि	94141-11607	charbhuja7@gmail.com
8	श्री सुभाष चुग	सदस्य	भीलवाडा पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियेशन	94141-14688	subhash.chugh13@gmail.com
9	श्री एस एस मेहता	सदस्य	न्यूटेक रिफेक्ट्रीज प्रा लि	98290-46020	nutechrefractories@yahoo.com
10	श्री राम गोपाल अग्रवाल	सदस्य	अजन्ता ट्रांसपोर्ट कम्पनी	98290-46742	yrl_bhilwara@yahoo.in
11	श्री पी एस सिद्धु	सदस्य	जिन्दल शॉ लिमिटेड		

क्र.सं.	कार्मिक विषयक एवं विधिक सलाहकार समिति			मोबाईल	ईमेल
1	श्री के एल पारीक	**चेयरमेन**	नितिन स्पीनर्स लिमिटेड	98285-48023	klpareek@nitinspinners.com
2	श्री आर एस सोड़ानी	सदस्य		94141-11494	sodanirs@gmail.com
3	श्री जे पी पाटोदिया	सदस्य		94130-52784	jppatodia@yahoo.com
4	श्री पी के छाजेड़	सदस्य	संगम ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज	98290-39308	pkchhajer@sangamgroup.com
5	श्री एच पी माथुर	सदस्य	बीएसएल लिमिटेड	93520-45203	gen@bslsuitings.com
6	श्री पवन गुप्ता	सदस्य	आरएसड्ब्ल्यूएम लिमिटेड, गुलाबपुरा	94141-13607	pawangupta@lnjbhilwara.com
7	श्री महेन्द्र सिंह चौहान	सदस्य	महेन्द्र सिंह चौहान एण्ड एसोसियेट	94141-59069	rajchauhanadv@rediffmail.com
8	श्री संदीप शर्मा	सदस्य	ए इन्फ्रास्ट्रकचर लि	93525-85814	sandeep.s@kanoria.org
9	श्री एस सी पानिग्रही	सदस्य	यूएमडीएस	90019-90061	sc.panigrahi@golchagroup.com
10	श्री एस के गुप्ता	सदस्य	जे के सीमेन्ट निम्बाहेडा	94141-09930	sk.gupta@jkcement.com
11	श्री अनिल चौखडा	सदस्य	रीको ग्रोथ सेन्टर उद्योग संस्था	78914-90000	rgc_us@yahoo.com
12	श्री राजेन्द्र गौड	सदस्य	जिन्दल शॉ लिमिटेड	77270-09276	rajender.gaur@jindalsaw.com
	ऊर्जा (विद्युत,कोल,गैस) सलाहकार समिति				
1	श्री एस के सुराना	**चेयरमेन**	सोना प्रोसेसर्स (इण्डिया) लिमिटेड	98290-46277	sonaprocess@gmail.com
2	श्री मनोज गर्ग	सदस्य	बी एस एल लिमिटेड	93517-75485	manojgarg@bslsuitings.com
3	श्री सचिन राठी	सदस्य	पुजा स्पिनटेक्स प्रा लि	98290-45533	pujaspintex@gmail.com
4	श्री अनुप सोमाणी	सदस्य	संगम इण्डिया लिमिटेड	94141-14420	anoopsomani@sangamgroup.com
5	श्री एस के चौधरी	सदस्य	बिरला कॉरपोरेशन लि	9462-407377	skc@birlacement.com
6	श्री सुधीर गर्ग	सदस्य	नितिन स्पिनर्स लिमिटेड	98281-48018	sudhirgarg@nitinspinners.com
7	श्री एस के लोढा	सदस्य	डायनामिक एल्कपावर प्रा लि	94141-15151	skl.dynamic@gmail.com
8	श्री एन के बहेडिया	सदस्य	आरएसड्ब्ल्यूएम लिमिटेड, बांसवाडा	94141-68323	nkbahedia@lnjbhilwara.com
9	श्री अशोक बाहेती	सदस्य	शुभम मिनकेम प्रा लि	94133-56347	shubcoal@bsnl.in
10	श्री आर पी दशोरा	सदस्य	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, आगूंचा	73404-33333	rajendra.dashora@vedanta.co.in
11	श्री जे पी गदिया	सदस्य	रीको ग्रोथ सेन्टर उद्योग संस्था	98291-09554	rgc_us@yahoo.com
12	श्री सुरेन्द्र जैन	सदस्य	सोलर एक्सप्लोर	98291-53981	solarxplore@gmail.com
	आयात–निर्यात सलाहकार समिति				
1	श्री एस एन मोदानी	**चेयरमेन**	संगम इण्डिया लि	98290-45422	snmodani@sangamgroup.com
2	श्री एम सी माहेश्वरी	सदस्य	बीएसएल लिमिटेड	94141-15901	mcmaheshwari@bslsuitings.com
3	श्री के के माहेश्वरी	सदस्य	आरएसड्ब्ल्यूएम लिमिटेड, गुलाबपुरा	94141-13603	kk.maheshwari@lnjbhilwara.com
4	श्री नितिन नौलखा	सदस्य	नितिन स्पिनर्स लिमिटेड	98281-48333	nitin@nitinspinners.com
5	श्री वरुण गुप्ता	सदस्य	सल्जरो सुटिंग्स प्रा लि	97838-22121	vgupta2484@gmail.com
6	श्री रंजन बेसवाल	सदस्य	रंजन सूटिंग्स प्रा लि	96606-12612	ranjanbeswal@yahoo.com
7	श्री अनिल मानसिंहका	सदस्य	शारदा स्पूनटेक्स प्रा लि	98290-46101	anil@shardagroup.net
8	श्री आर पी अग्रवाल	सदस्य	एसआर टेक्सफेब प्रा लि	94141-10802	rpagarwal_sr@yahoo.co.in
9	श्री अशोक खैंराजानी	सदस्य	डी के ट्रेक्जिम इण्डिया प्रा लि	99280-76236	deekay98@gmail.com
10	श्री सुदीप गलुण्डिया	सदस्य	गलुण्डिया टेक्सटाइल प्रा लि	98290-52423	gtplgrace@gmail.com
11	श्री दीपक मानसिंहका	सदस्य	श्री महोदव कॉटन मिल्स लिमिटेड	98290-46628	mcmltd@bsnl.in
12	श्री पंकज ओस्तवाल	सदस्य	सीजन्स इन्टरनेशनल प्रा लि	94141-12572	pankajostwal@hotmail.com
13	श्री राजेश सोमाणी	सदस्य	रामकुमार टेक्सटाइल प्रा लि	93521-15161	rkumartextile@yahoo.com
14	श्री योगेश लढ्ढा	सदस्य	मनोमय टेक्स इण्डिया प्रा लि	94141-14983	ykladdha@hotmail.com
15	श्री के जी सोमाणी	सदस्य	आर्यमेन इन्टरनेशनल एक्सपोर्ट्स	94140-41344	pankaj186@hotmail.com
	यार्न एवं टेक्सटाइल ट्रेड सलाहकार समिति				
1	श्री अनिल मानसिंहका	**चेयरमेन**	शारदा स्पनटेक्स प्रा लि	98290-46101	anil@shardagroup.net
2	श्री दिनेश बागडोदिया	सदस्य	मंगलम यार्न एजेन्सीज	98290-46612	myayarns@gmail.com
3	श्री के सी प्रहलादका	सदस्य	भीलवाडा टैक्सटाइल एजेन्ट एसोसियेशन	94141-14674	shivamprahladka@gmail.com
4	श्री सुरेश पोद्दार	सदस्य	पोद्दार यार्न एजेन्सीज	98290-46161	poddars@bsnl.in

क्र.सं.	यार्न एवं टेक्सटाइल ट्रेड सलाहकार समिति			मोबाईल	ईमेल
5	श्री किरण सेठिया	सदस्य	जैन बसन्त स्पीनर्स	94141-48474	kiran.s.sethia@gmail.com
6	श्री आर पी रुंगटा	सदस्य	टेक्सटाइल यार्न हाउस	98290-45054	roongtayarns@bsnl.in
7	श्री के जी सोमाणी	सदस्य	आर्यमेन इन्टरनेशनल एक्सपोर्ट	94140-41344	pankaj186@hotmail.com
8	श्री मुकेश पाटोदिया	सदस्य	पाटोदिया ट्रेडिग कम्पनी	98290-46404	ptlyarn@gmail.com
9	श्री एस एल लढ्ढा	सदस्य	श्री रिद्धी सिद्धी यार्न प्रा लि	93513-68401	slladdha@gmail.com
10	श्री निर्मल कुमार गोखरु	सदस्य	अनुव्रत टेक्सटाइल प्रा लि	94141-15066	nirmal_gokhru@rediffmail.com
11	श्री आर के समदानी	सदस्य	राघव सिन्कोटेक्स	94141-14046	rajeshsamdani.1958@gmail.com
12	श्री हितेन्द्र कुमार सोमाणी	सदस्य	सोमाणी टेक्सटाइल एजेन्सीज	98290-45345	somani.hitendra@gmail.com
	मेजर मिनरल सलाहकार समिति				
1	श्री प्रवीण जैन	**चेयरमेन**	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर	99280-47578	praveen.jain@vedanta.co.in
2	श्री सुनिल पाण्डे	सदस्य	जिन्दल शॉ लिमिटेड		
3	श्री एस सी पानिग्रही	सदस्य	उदयपुर मिनरल डवलपेन्ट सिंडिकेट लि	90019-90061	sc.panigrahi@golchagroup.com
4	श्री वी के हमीरवासिया	सदस्य	बिड़ला कॉरपोरेशन लि	94141-09401	vkh@birlacement.com
5	श्री एम एल गोयल	सदस्य	जे के सिमेन्ट वर्क्स, निम्बाहेडा	98292-46809	ml.goyal@jkcement.com
6	श्री नाथुराम अग्रवाल	सदस्य	पी बी एक्जिम प्रा लि	98290-45580	matraashish@ymail.com
7	श्री अनिल कुमार दासोत	सदस्य	भीलवाडा मिनरल एण्ड ग्राइडिंग इण्डस्ट्रीज	94141-15557	anildasot@yahoo.com
8	श्री राहुल भरतिया	सदस्य	ए बी इम्पेक्स		
	मार्बल सलाहकार समिति				
1	श्री विपिन लढ्ढा	**संयोजक**	प्रशान्त मार्बल प्रा लि	94133-16884	laddhavipin@yahoo.co.in
2	श्री एन एन जिंदल	सदस्य	जिदंल मार्बल प्रा लि, चि गौडगढ	94147-34834	jindal3456@gmail.com
3	श्री आई एम सेठिया	सदस्य	सेठिया एण्ड कम्पनी, चि गौडगढ	94141-08966	nitsca@gmail.com
4	श्री एस के इनानी	सदस्य	इनानी मार्बल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	98292-45113	inanimarble@gmail.com
5	श्री जे के बिडला	सदस्य	मीरा मार्बल प्रा लि, चि गौडगढ	94141-11384	jkbirla@bsnl.in
6	श्री गोविन्द गदिया	सदस्य	विजय टाइल्स प्रा लि, चि गौडगढ	94141-09048	info@vijaytiles.com
7	श्री अर्जन मुन्दडा	सदस्य	न्याति मुन्दडा एण्ड कम्पनी, चि गौडगढ	94141-11446	arjunmundra@gmail.com
8	श्री एस एन मानधाना	सदस्य	पेरेडाइज मार्बल प्रा लि, चि गौडगढ	94141-09001	paradisemarble@rediffmail.com
9	श्री सुनील धारीवाल	सदस्य	पेन क्रियेशन इण्डिया	98290-46766	pancreationsindia@yahoo.co.in
10	श्री ओम प्रकाश सोनी	सदस्य	डायमण्ड हैण्डीक्राफ्ट	94141-46633	rajomsoni@gmail.com
11	श्री पी आर भराडिया	सदस्य	महाराजा मार्बल प्रा लि	94141-09526	info@maharajamarbles.com
12	श्री राजेश डाड	सदस्य	राजाराम मार्बल प्रा लि	94141-10998	contact@rajarammarbles.com
	आयकर एवं कम्पनी अधिनियम सलाहकार समिति				
1	श्री एस पी झंवर	**चेयरमेन**	कालानी एण्ड कम्पनी	94141-12367	bhl@kalanico.com
2	श्री ओ पी डाड	सदस्य	ओ पी डाड एण्ड कम्पनी	98290-45907	dad_op@yahoo.co.in
3	श्री अतुल सोमानी	सदस्य	ए के सोमानी एण्ड एसोसियेट्स	98291-26375	aksomani_ca@yahoo.com
4	श्री जी पी सिंघल	सदस्य	जी पी सिंघल एण्ड कम्पनी	94141-12350	singhal81@hotmail.com
5	श्री के सी तातेड	सदस्य	के सी तातेड एण्ड एसोसियेट्स	98291-92198	kctater@ymail.com
6	श्री संजय डाड	सदस्य	एस डाड एण्ड कम्पनी	98290-47880	sanjaydad@rediffmail.com
7	श्री हरीश काकानी	सदस्य	एचकेबीएस एण्ड एसोसियेट्स	94142-60315	hkbs@rediffmail.com
8	श्री वी एस तापडिया	सदस्य	वी एस तापडिया एण्ड एसोसियेट्स	93142-35114	vstapadia@gmail.com
9	श्री नितिन मेहता	सदस्य	नेचुरल इन्टरनेशनल ट्रेड प्रा लि	98291-05613	nitin2080@gmail.com
10	श्री पी माहेश्वरी	सदस्य	नितिन स्पिनर्स लिमिटेड	98285-48131	pmaheshwari@nitinspinners.com
11	श्री अर्जन मुन्दडा	सदस्य	न्याति मुन्दडा एण्ड कम्पनी, चि गौडगढ	94141-11446	arjunmundra@gmail.com
12	श्री आई एम सेठिया	सदस्य	सेठिया एण्ड कम्पनी, चि गौडगढ	94141-08966	nitsca@gmail.com
13	श्री मनीष छाजेड	सदस्य	इनाणी मार्बल एण्ड इण्डस्ट्रीज, चि गौडगढ	94133-15211	inanimarble@gmail.com
14	श्री नरेश माहेश्वरी	सदस्य	नरेश माहेश्वरी एण्ड कम्पनी	94141-15305	nareshca93@yahoo.com
15	श्री दिलीप गोयल	सदस्य	गोयल डी कुमार एण्ड कम्पनी	94141-15554	dkg.bhl@gmail.com

क्र.सं.	जीएसटी सलाहकार समिति			मोबाईल	ईमेल
1	श्री आर के जैन	**चेयरमेन**	आर के जैन एण्ड एसोसियेट्स	94141-10844	rkjainbhilwara@gmail.com
2	श्री प्रवीण जैन	सदस्य	बीएसएल लिमिटेड	93521-11233	praveenjain@bslsuitings.com
3	श्री सुधीर गर्ग	सदस्य	नितिन स्पिनर्स लि	98281-48018	sudhirgarg@nitinspinners.com
4	श्री अनिल जैन	सदस्य	संगम इण्डिया लिमिटेड	98290-44365	aniljain@sangamgroup.com
5	श्री के के माहेश्वरी	सदस्य	आरएसड्ब्ल्यूएम लिमिटेड, गुलाबपुरा	94141-13603	kk.maheshwari@lnjbhilwara.com
6	श्री राजीव बेनवाल	सदस्य	जिन्दल शॉ लिमिटेड		
7	श्री आर पी दशोरा	सदस्य	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	80030-99066	rajendra.dashora@vedanta.co.in
8	श्री जे के जैन	सदस्य	बांसवाडा सिन्टेक्स लि	94141-01844	jkjain@banswarafabrics.com
9	श्री जी सी जैन	सदस्य	सम्यक सिन्थेटिक्स प्रा लि	98290-47079	samyak.synthetics@gmail.com
10	श्री आर के समदानी	सदस्य	राघव सिन्कोटेक्स	94141-14046	rajeshsamdani.1958@gmail.com
11	श्री महेश भूतडा	सदस्य	श्री महेश भूतडा	94140-78785	mbhutra@shrivedantaclothings.com
12	श्री अशोक झंवर	सदस्य	सोलर सिन्थेटिक्स प्रा लि		fabric@solarsuiting.com
13	श्री अशोक मंगल	सदस्य	आर एस डाणी एण्ड कम्पनी	93521-22000	ashokmangal@gmail.com
14	श्री एस पी झंवर	सदस्य	कालानी एण्ड कम्पनी	94141-12367	bhl@kalanico.com
15	श्री जी पी सिंघल	सदस्य	जी पी सिंघल एण्ड कम्पनी	94141-12350	singhal81@hotmail.com
16	श्री अनिल राठी	सदस्य	अनिल प्रहलाद राठी एण्ड कम्पनी	94133-58080	anilprathi@rediffmail.com
17	श्री वी के गोयल	सदस्य	वी के गोयल एण्ड कम्पनी	94142-93450	vkg.company@yahoo.co.in
18	श्री वैभव चौधरी	सदस्य	प्रिया चौधरी एण्ड एसोसियेट्स	98290-31933	vaichoudhary@gmail.com
19	श्री सोहन लाल कोगटा	सदस्य	श्री सोहन लाल कोगटा	94136-24501	s_kogta@rediffmail.com
20	श्री आर एस जैथलिया	सदस्य	श्री आर एस जैथलिया	94133-55554	
21	श्री आई एम सेठिया	सदस्य	सेठिया एण्ड कम्पनी, चि गौडगढ	94141-08966	nitsca@gmail.com
22	श्री मनीष छाजेड	सदस्य	इनाणी मार्बल एण्ड इण्डस्ट्रीज, चि गौडगढ	94133-15211	inanimarble@gmail.com
	इसके अतिरिक्त सभी एसोसियेशन सदस्य भी इस सलाहकार समिति के सदस्य रहेगें।				
	व्यापार एवं व्यवसाय सलाहकार समिति				
1	श्री सुमित जागेटिया	**चेयरमेन**	भीलवाड़ा ऑटो एण्ड मशीनरी डीलर एसो.	94141-10770	mewarcommodities@yahoo.co.in
2	श्री पी एस तलेसरा	सदस्य	तलेसरा इलेक्ट्रीकल्स	99293-86000	talesara_anil@yahoo.co.in
3	श्री एस एल पोखरना	सदस्य	राजस्थान कॉमर्शियल कॉरपोरेशन	98290-95543	rccbhilwara@yahoo.com
4	श्री रामगोपाल अग्रवाल	सदस्य	फर्नीचर हाउस	94141-15674	aramgopal@ymail.com
5	श्री श्याम लाल अग्रवाल	सदस्य	किराणा व्यापार मण्डल, चित्तोडगढ	96022-30165	amit@chittorgarhoilmill.com
6	श्री सोहनलाल कोगटा	सदस्य		94136-24501	s_kogta@rediffmail.com
7	श्री अशोक काबरा	सदस्य		94142-59901	grsecurities_bhilwara@yahoo.com
8	श्री मुकेश अग्रवाल	सदस्य	सुपर इलेक्ट्रोनिक्स	92143-03225	super.telecom@gmail.com
9	श्री अशोक शर्मा	सदस्य	धरतीधन एग्रोटेक प्रा लि	94133-57458	ashoksharma_bhl@rediffmail.com
10	श्री ओम प्रकाश गट्टाणी	सदस्य	राजस्थान निवार मैन्यूफेक्चरिंग एसोसियेशन	94141-15004	
11	श्री सुभाष चुग	सदस्य	भीलवाडा पेट्रोलियम डीलर्स एसोशियेशन	94141-14688	subhash.chugh13@gmail.com
12	श्री मुकन सिंह राठौड	सदस्य	भीलवाडा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन	94141-11530	msrathore_2007@rediffmail.com
	जल एवं पर्यावरण सलाहकार समिति				
1	श्री देवेन्द्र देराश्री	**चेयरमेन**		98291-09502	paniwale@gmail.com
2	श्री प्रकाश छाबडा	सदस्य	ए के स्पिनटेक्स प्रा लि	98290-46573	akspintex@gmail.com
3	श्री ए के मेहता	सदस्य	बीएसएल लिमिटेड (प्रोसेर्स डिविजन)	93521-11222	akmehta@bslsuitings.com
4	श्री सचिन राठी	सदस्य	पूजा स्पीनटेक्स प्रा लि	98290-45533	pujaspintex@gmail.com
5	श्री एस के सुराना	सदस्य	सोना प्रोसेस (इण्डिया) लिमिटेड	98290-46277	sonaprocess@gmail.com
6	श्री राजेन्द्र गौड	सदस्य	जिंदल शॉ लिमिटेड	77270-09276	rajender.gaur@jindalsaw.com
7	श्री सचिन सामर	सदस्य	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, आगुचा	90012-92870	sachin.samar@vedanta.co.in
8	श्री एल पी श्रीवास्तव	सदस्य	जे के टायर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि	97999-99946	lps@ktp.jkmail.com
9	श्री वी के हमीरवासिया	सदस्य	बिड़ला कॉरपोरेशन लि	94141-09401	vkh@birlacement.com
10	श्री जे पी गदिया	सदस्य	रीको ग्रोथ सेन्टर उद्योग संस्था	98291-09554	rgc_us@yahoo.com
11	श्री अशोक कोठारी	सदस्य	भीलवाडा स्पिनर्स लिमिटेड	98290-45270	bdahinsa2001@yahoo.co.in
12	श्री सुरेन्द्र जैन	सदस्य	सोलर एक्सप्लोर	98291-53981	solarxplore@gmail.com

क्र.सं.	विभिन्न संस्थान में मेवाड चेम्बर की ओर से प्रतिनिधित्व के लिये नाम		मोबाईल	ईमेल
1	रीको लिमिटेड	डॉ पी एम बेसवाल	98290-45427	ranjanbeswal@yahoo.com
	रीको लिमिटेड	श्री जे पी गदिया	98291-09554	rgc_us@yahoo.com
2	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.	श्री एस के सुराना	98290-46277	sonaprocess@gmail.com
	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.	श्री एन के बहेडिया, बांसवाडा	94141-68323	nkbahedia@lnjbhilwara.com
3	रेलवे विभाग	श्री वी के मानसिंगका	94141-12123	mansingkav@yahoo.com
	रेलवे विभाग	श्री एस पी नाथानी	94141-12108	nathanysp@hotmail.com
4	जिला उद्योग केन्द्र	श्री के के मोदी	98290-46497	kamal_modtex@yahoo.co.in
5	जीएसटी	श्री आर के जैन	94141-10844	rkjainbhilwara@gmail.com
		श्री आर एस जैथलिया	94133-55554	
		श्री वी के गोयल	94142-93450	vkg.company@yahoo.co.in
6	आयकर विभाग	श्री एस पी झंवर	94141-12367	bhl@kalanico.com
7	श्रम विभाग	श्री आर एस सोडाणी	94141-11494	sodanirs@gmail.com
8	श्रम विभाग	श्री पवन गुप्ता	94141-13607	pawangupta@lnjbhilwara.com
9	कर्मचारी भविष्य निधी/ईएसआई	श्री अनिल चौखडा	78914-90000	rgc_us@yahoo.com

5 नये सदस्यता प्रस्ताव :–

मानद महासचिव ने निम्न नये सदस्यता प्रस्ताव कार्यकारणी समिति के सामने रखे। कार्यकारणी समिति ने सर्वसम्मति से निम्न नये सदस्यता प्रस्ताव स्वीकार किये :–

क्र.	श्रेणी	सदस्य नाम	प्रतिनिधि का नाम	विवरण
1	एसोसियेट्स	श्री बजाज सुटिंग प्रा लि	श्री गजानन्दन बजाज	विविंग इकाई
2	एसोसियेट्स	जैनम फेब प्रा लि	श्री अर्चित जैन	विविंग इकाई
3	एसोसियेट्स	रिलायबल माईनकेम	श्री महावीर भूरा	मिनरल निर्यातक
4	एसोसियेट्स	साईलीला प्रोसेसर्स प्रा लि	श्री जयकिशन जालान	प्रोसेस हाउस
5	साधारण	श्री सुरेन्द्र जैन	श्री सुरेन्द्र जैन	सोलर पावर सलाहकार
6	साधारण	श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री अशोक कुमार शर्मा	कृषि सलाहकार

6 31 मार्च 2017 तक सदस्यता शुल्क प्राप्त नही होने से निरस्त सदस्यताओं का अनुमोदन :–

मानद महासचिव ने बताया कि निम्न सदस्यों से वर्ष 2016–17 के लिए सदस्यता शुल्क का भुगतान 31 मार्च 2017 तक प्राप्त नही होने से उक्त सदस्यताएं, नियमानुसार स्वतः निरस्त हो गई है। विवरण कार्यकारणी समिति के सामने अनुमोदन के लिए रखा।

एसोसियेट्स	श्री राजीव टेकरीवाल	प्रेस्टीज सुटिंग प्रा लि
एसोसियेट्स	श्री संजय गांग	स्टोन ऑन नेट (इण्डिया) प्रा लि
एसोसियेट्स	श्री मनीष अजमेरा	जय शिव सुटिंग्स प्रा लि
एसोसियेट्स	श्रीमान प्रबंधक	भीलवाडा महिला अरबन कॉ. बैंक लि
एसोसियेट्स	श्री राम सहाय जागेटिया	सियाराम टेक्सटाइल
एसोसियेट्स	श्री अतिन व्यास	ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
एसोसियेट्स	श्री संजय जैन	सनसोम टेक्स प्रा लिमिटेड
एसोसियेट्स	श्री मनोज जैन	अर्पित इन्टरप्राइजेज
एसोसियेट्स	श्री महावीर झंवर	जय करनी सुटिंग प्रा लि
एसोसियेशन	श्री शिव चरण जैथलिया	भीलवाड़ा रेलवे पेसेन्जर्स रिलिफ सोसाइटी
साधारण	श्री के एम जैन	श्री के एम जैन

उपस्थित सभी सदस्यों ने उक्त सदस्यता निरस्त होने का अनुमोदन किया गया।

7 अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से –

मानद महासचिव ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न बिन्दु सदस्यों के सूचना / विचारार्थ रखेः–

1) देश की प्रसिद्ध व्यापारिक समाचार पत्रिका बिजनेस स्टेण्डर्ड से 22 अप्रेल 2017 को एक पेनल डिस्कशन सेमीनार के आयोजन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। हम यह सेमीनार जीएसटी पर रखना चाहते है। कार्यकारणी समिति ने इस आयोजन की स्वीकृति प्रदान की।

2) जीएसटी पर पूरे दिन के लिए एक बडी सेमीनार आयोजन चेम्बर की ओर से करना चाहते है। जिसकी पार्टीसिपेशन फीस रखी जाने का प्रस्ताव है, इसके लिए वरिष्ठ विशेषज्ञों से बात भी हुई है। श्री एस पी नाथानी ने कहाकि इसके लिए पूर्व में सीआईआई की ओर से इस तरह की सेमीनार संयुक्त आयोजन में रखे जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। अतः यह आयोजन सीआईआई के साथ भी रखा जा सकता है। अध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा ने कहाकि इस सेमीनार के लिए कोई स्पोन्सरशिप मिल जाए तो सदस्यों के लिए निशुल्क रखी जा सकती है अन्यथा सभी के लिए पार्टीसिपेशन फीस रखी जानी चाहिए। विचारविमर्श के बाद उक्त दोनों सुझावों सहित कार्यकारणी समिति ने इस सेमीनार को मई माह में करवाने की स्वीकृति प्रदान की।

3) मानद महासचिव ने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक में चेम्बर का खाता सेविंग बैंक खाता है, जिसमें केवल 10 चेक की चेकबुक जारी होती है। अतः सभी भुगतान चेक से करने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने भुगतान के उद्देश्य से एक नया करन्ट खाता किसी भी सरकारी बैंक में खालने का प्रस्ताव किया, जिसमें कम से कम चार्जेज लगे। उनके सुझाव अनुसार चेम्बर का एक करन्ट खाता सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके संचालन हेतु भी अध्यक्ष श्री दिनेश नौलखा, मानद महासचिव श्री आर के जैन एवं कोषाध्यक्ष श्री विनोद मानसिंगका को अधिकृत किया जाता है एवं पूर्वतः तीन में से कोई दो के हस्ताक्षर से खाते का संचालन किया जाए।

4) मानद महासचिव ने बताया कि माननीय श्री एस पी नाथानी साहब ने पिछले 50 वर्षो में चेम्बर की अविस्मरणीय सेवाएं की है एवं इसे उंचाईयों तक पहुँचाया है। अतः माननीय नाथानी साहब का एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। साथ ही लिफ्ट का कार्य अधिकांश रुप से पूरा हो चुका है, ग्रेनाइट आदि लगना बाकी है। अतः लिफ्ट का उद्घाटन भी इसी समारोह में किया जा सकता है। कार्यकारणी समिति के सभी सदस्यों ने इसमें सहमति प्रदान की।

5) मानद महासचिव ने बताया कि भीलवाडा के सभी प्रोसेस हाउस सदस्यों से नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के निर्णय अनुसार वेस्टवाटर के जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा उपयोग के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के साथ एक ट्राईपार्टटाइट समझौते के लिए आरपीसीबी को लिखने के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त हुए है, तद्नुसार आरपीसीबी को एक पत्र लिखा गया है। श्री एस पी नाथानी ने कहाकि प्रदूषण संबंधी मामले काफी सेन्सेटीव प्रकरण है इसमें सोच समझकर कार्यवाही की जाना चाहिए। श्री दिनेश नौलखा ने भी इस तरह के प्रकरणों में सावधानी रखने का समर्थन किया। जिन्दल शॉ के प्रतिनिधि के रुप में श्री राजेन्द्र गौड ने जानकारी दी कि प्रोसेस हाउसों का पानी केमीकल युक्त होने से हमारे यहां काम आ भी पाएगा या नही, इस विषय में आवश्यक परीक्षण चल रहे है एवं अभी कोई निर्णय नही लिया गया है। अतः भविष्य में यह प्रकरण क्या रुप लेगें, कुछ कहा नही जा सकता।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(आर के जैन)

मानद महासचिव

कार्यकारणी समिति की दिनांक 08.04.2017 को उपस्थित सदस्यों की सूची निम्नानुसार है –

1	श्री दिनेश नौलखा	नितिन स्पिनर्स लिमिटेड
2	श्री आर के जैन	आर के जैन एण्ड एसोसियेट्स
3	श्री एस पी नाथानी	नाथानी फार्म
4	श्री जे के बागडोदिया	मंगलम यार्न एजेन्सीज
5	श्री राजेन्द्र गौड	जिन्दल शॉ लिमिटेड
6	श्री योगेश लढ्ढा	मनोमय टेक्स इण्डिया लिमिटेड
7	श्री हेमन्त मानसिंहका	प्रताप कॉमर्शियल कम्पनी प्रा लि
8	श्री एस एल पोखरना	राजस्थान कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन
9	श्री सन्मति जैन	श्री गुड्स केरियर
10	श्री कैलाश प्रहलादका	भीलवाडा टेक्सटाइल एजेन्ट एसोसियेशन

कार्यकारणी समिति की दिनांक 08.04.2017 को उपस्थित सदस्यों की सूची निम्नानुसार है –

1	श्री दिनेश नौलखा	नितिन स्पिनर्स लिमिटेड
2	श्री आर के जैन	आर के जैन एण्ड एसोसियेट्स
3	श्री एस पी नाथानी	नाथानी फार्म
4	श्री जे के बागडोदिया	मंगलम यार्न एजेन्सीज
5	श्री राजेन्द्र गौड	जिन्दल शॉ लिमिटेड
6	श्री योगेश लढ्ढा	मनोमय टेक्स इण्डिया लिमिटेड
7	श्री हेमन्त मानसिंहका	प्रताप कॉमर्शियल कम्पनी प्रा लि
8	श्री एस एल पोखरना	राजस्थान कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन
9	श्री सन्मति जैन	श्री गुड्स केरियर
10	श्री कैलाश प्रहलादका	भीलवाडा टेक्सटाइल एजेन्ट एसोसियेशन
11	श्री रामगोपाल अग्रवाल	फर्नीचर हाउस
12	श्री पी एस तलेसरा	तलेसरा इलेक्ट्रीक स्टोर
13	श्री वी के मानसिंगका	

उपसमितियों की बैठके

अप्रेल 2017 के दौरान मेवाड चेम्बर की विभिन्न उपसमितियों की बैठके हुई।

कार्मिक विषयक एवं विधिक सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 28.04.2017 को आयोजित की गई। बैठक में औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों की दुर्घटनावश मृत्यु या चोट लगने पर मांगे जाने वाले मौताना भुगतान के संबंध में चर्चा हुई। अन्य बिन्दुओं पर भी चर्चा की गई। इसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे।

1	श्री के एल पारीक	चेयरमेन	नितिन स्पीनर्स लिमिटेड
2	श्री एच पी माथुर	सदस्य	बीएसएल लिमिटेड
3	श्री के एम कोगटा	सदस्य	बीएसएल लिमिटेड
4	श्री अनिल गर्ग	वि. आ.	
5	श्री जी सी जैन	वि. आ.	
6	श्री वरुण गुप्ता	वि.आ.	
7	श्री मनीष छाजेड	वि.आ.	
8	श्री आर के जैन	मानद महासचिव	

विविंग मिल्स सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 28.04.2017 को आयोजित हुई। इसमें टेक्सटाइल उद्योग पर जीएसटी का प्रभाव एवं थेले बनाने के लिए वेस्ट कपडा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा हुई। इसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे।

1	डॉ पी एम बेसवाल	चेयरमेन	रंजन सूटिंग्स प्रा लि
2	श्री एस एल पानगड़िया	सदस्य	शुभलक्ष्मी सिन्टेक्स लिमिटेड
3	श्री अतुल शर्मा	सदस्य	कलर्स सल्जर प्रा लि
4	श्री अनिल कन्दोई	सदस्य	एस आर एस सिन्टेक्स लिमिटेड़
5	श्री डी एम भडकतिया	सदस्य	जेन्टलमेन सुटिंग प्रा लि
6	श्री देवाशीश गोयल	वि.आ.	देवा इण्डिया टेक्सफेब प्रा लि
7	श्री राजीव मुखिजा	वि.आ.	न्यूटेक ग्लोबल लिमिटेड
8	श्री एम डी गगराणी	वि.आ.	मंजुश्री सिन्टेक्स प्रा लि
9	श्री सम्पत बाफना	वि.आ.	जैनम फेब प्रा लि
10	श्री निर्मल गौखरु	वि.आ.	अनुव्रत टेक्सटाइल प्रालि
11	श्री गजानन्द बजाज	वि.आ.	बजाज सुटिंग प्रा लि
12	श्री दिनेश नौलखा	अध्यक्ष	
13	श्री आर के जैन	मानद महासचिव	
14	श्री जे के बागडोदिया	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	

आयात–निर्यात सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 29.04.2017 को आयोजित हुई। इसमें जीएसटी का निर्यात पर प्रभाव एवं अन्य विषयों पर चर्चा हुई। इसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे।

1	श्री अशोक खैंराजानी	सदस्य	डी के ट्रेक्जिम इण्डिया प्रा लि
2	श्री दीपक मानसिंहका	सदस्य	श्री महोदव कॉटन मिल्स लिमिटेड
3	श्री योगेश लढ्ढा	सदस्य	मनोमय टेक्स इण्डिया प्रा लि
4	श्री जी सी जैन	वि.आ.	सम्यक सिन्थेटिक्स प्रा लि
5	श्री सुधीर गर्ग	वि.आ.	नितिन स्पिनर्स लिमिटेड
6	श्री आर के जैन	मानद महासचिव	

अवकाश प्रार्थना

1	श्री अनिल मानसिंहका	सदस्य	शारदा स्पूनटेक्स प्रा लि
2	श्री एम सी माहेश्वरी	सदस्य	बीएसएल लिमिटेड
3	श्री सुदीप गलुण्डिया	सदस्य	गलुण्डिया टेक्सटाइल प्रा लि

आयकर एवं कम्पनी अधिनियम सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 29.04.2017 को आयोजित हुई। इसमें रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट, बेनामी लेनदेन पर प्रतिबन्ध, आयकर के अधीन रोकडी लेनदेन के प्रावधान, सीएसआर आदि विषयों पर चर्चा हुई। इसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे।

1	श्री एस पी झंवर	चेयरमेन	कालानी एण्ड कम्पनी
2	श्री ओ पी डाड	सदस्य	ओ पी डाड एण्ड कम्पनी
3	श्री अतुल सोमानी	सदस्य	ए के सोमानी एण्ड एसोसियेट्स
4	श्री सुधीर गर्ग	सदस्य	नितिन स्पिनर्स लिमिटेड
5	श्री दिलीप गोयल	सदस्य	गोयल डी कुमार एण्ड कम्पनी
6	श्री अर्जन मुन्दडा	सदस्य	न्याति मुन्दडा एण्ड कम्पनी , चि ाौडगढ
7	श्री विपिन लढ्ढा	वि.आ.	प्रशान्त मार्बल प्रा लि, चि ाौडगढ
8	श्री वी के गोयल	वि.आ.	वी के गोयल एण्ड कम्पनी
9	श्री आर के जैन	मानद महासचिव	
10	श्री जे के बागडोदिया	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	

अवकाश प्रार्थना

1	श्री वी एस तापडिया	सदस्य	वी एस तापडिया एण्ड एसोसियेट्स

जीएसटी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 29.04.2017 को आयोजित हुई। इसमें जीएसटी के विभिन्न मुद्दो पर चर्चा हुई एवं मई माह में एक पूर्ण दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने के निर्णय लिया गया। इसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे।

1	श्री आर के जैन	चेयरमेन	आर के जैन एण्ड एसोसियेट्स
2	श्री एस एस राठोड	सदस्य	आरएसड्ब्ल्यूएम लिमिटेड
3	श्री अरुण कुमार गुप्ता	सदस्य	आरएसड्ब्ल्यूएम लिमिटेड
4	श्री जी सी जैन	सदस्य	सम्यक सिन्थेटिक्स प्रा लि
5	श्री आर के समदानी	सदस्य	राघव सिन्कोटेक्स
6	श्री एस पी झंवर	सदस्य	कालानी एण्ड कम्पनी
7	श्री वी के गोयल	सदस्य	वी के गोयल एण्ड कम्पनी
8	श्री वैभव चौधरी	सदस्य	प्रिया चौधरी एण्ड एसोसियेट्स
9	श्री सोहन लाल कोगटा	सदस्य	श्री सोहन लाल कोगटा
10	श्री सुमित जागेटिया	सदस्य	भीलवाडा ऑटोमोबाइल मशीनरी डिलर्स एसोसियेशन
11	श्री पी एस गर्ग	सदस्य	भीलवाडा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन

12 श्री विवके लढ्ढा	सदस्य	अजमेर–भीलवाडा चेप्टर ऑफ कॉस्ट एकाउण्टेन्ट
13 श्री मनीष छाजेड	सदस्य	इनाणी मार्बल एण्ड इण्डस्ट्रीज, चि ाौडगढ
14 श्री सुधीर गर्ग	सदस्य	नितिन स्पिनर्स लिमिटेड
15 श्री योगेश लढ्ढा	सदस्य	मनोमय टेक्स इण्डिया प्रा लि
16 श्री अर्जन मुन्दडा	वि.आ.	न्याति मुन्दडा एण्ड कम्पनी, चि ाौडगढ
17 श्री विपिन लढ्ढा	वि.आ.	प्रशान्त मार्बल प्रा लि, चि ाौडगढ
18 श्री दिलीप गोयल	वि.आ.	गोयल डी कुमार एण्ड कम्पनी
19 श्री ओ पी डाड	वि.आ.	ओ पी डाड एण्ड कम्पनी
20 श्री अशोक खैंराजानी	वि.आ.	डी के ट्रेक्जिम इण्डिया प्रा लि
21 श्री अजय कुमार सोमाणी	वि.आ.	
22 श्री वरुण गुप्ता	वि.आ.	
23 श्री जे के बागडोदिया	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	

पोलिथिन मुक्त भीलवाडा

माननीय जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने भीलवाडा को पोलिथिन मुक्त बनाने के लिए सब्जि विक्रेताओं एवं अन्य फुटकर व्यापारियों को कपडे के बने थेले उपलब्ध कराने का विचार रखा। विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं समाज सेवी संगठनों के साथ बैठक में यह विचार उभरकर आया कि अगर 5 लाख कपडे के थेले रिटेल व्यापारियों को उपलब्ध कराये जाते है तो क्रमशः उपयोग में आने लगगे, आम नागरिकों में भी इसका प्रचलन होगा एवं स्वतः ही पोलिथिन की थेलियों का उपयोग बन्द हो जाएगा। 5 लाख थेले बनाने के लिए लगभग 40 हजार किलो वेस्ट कपडा (रेग्ज) की आवश्यकता होगी, जिसकों निशुल्क उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने अपनी सहभागिता देने की निश्चिय किया।

दिनांक 28 अप्रेल 2017 को मेवाड चेम्बर की विविंग मिल्स सलाहकार समिति की बैठक में नगर विकास न्यास की विशेषाअधिकारी श्रीमति निमिषा गुप्ता ने भी शिरकत की। उद्यमियों से उक्त विषय में विचार विमर्श किया एवं उनका सम्पूर्ण समर्थन का आव्हान किया। इस बैठक में विभिन्न विविंग इकाईयों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विविंग एवं प्रोसेसिंग इकाईयां अपने यहां उत्पन्न हो रहे वेस्ट कपडे को जिला प्रशासन को उपलब्ध करायेगे एवं उनके द्वारा निश्चित किये गये स्थान पर कपडे को पहुँचायेगें। यह निर्णय लिया गया कि :–

"for making Bhilwara polythene free and to contribute in the compaign to distribute fabrics bags to retailers, the project initiated by the District Collector",

That textile units will contribute waste fabrics either grey or finished (Rags only) to the District administration as under :-

One Month's generation of Waste Fabric Either Grey of Finished (Rags only)

Minimum 200 kg for small weaving units (up to 16 looms)

Medium and Large weaving units 500-1000 kg

Process House minimum 1500 kg

The fabrics is to be sent at collection point as under :-

Meenakshi Textile Limited,

12, Arihant Nagar-Extension, Near Ankur Furniture, Industrial Estate

Behind DIC office Pansal chouraya, Pur Road, Bhilwara

After sending the fabrics please intimate Name of your unit and dispatch quantity (kg) through whatsapp at following number :Shri R K Jain, 9414110844

Ms. Nimisha Gupta, OSD (UIT), Bhilwara 9829072726

And also mail to mcci@mccibhilwara.com

चेम्बर के सदस्य सभी विविंग इकाईयों, प्रोसेसिंग इकाईयों एवं औद्योगिक संगठनों से निवेदन है कि उक्त निर्णय की अनुपालना में निर्धारित वजन का वेस्ट कपडा उक्त कलक्शन पॉइन्ट पर भिजवा कर रसीद प्राप्त कर, चेम्बर कार्यालय को एवं संबंधित व्यक्तियों को सूचित करने का कष्ट करे।

MCCI/GST/2017-2018/051 Dated 13.04.2017

Hon'ble Shri Arun Jaitely
Hon'ble Minister for Finance,
Govt of India
New Delhi.

Sub: GST on Textile Goods

Respected Sir,

Under the dynamic leadership of Hon'ble Prime Minister respected Shri Narendra Modi ji, India is marching towards GST regime. The ambitious Goods and Services Tax ("GST") that will subsume 17 major Central and State taxes for a unified tax regime. During the passage of GST bill in Loksabha, your honour promised the House that the regime will make things "slightly cheaper"."Today, you have tax on tax, you have cascading effect. When all of that is removed, goods will become slightly cheaper."

In this regard, you had said that "On 17-18 May we will give final approval to rules and rates; looks like it can be implemented from July 1," and further, adding, "There would be hurdles or issues in implementation and those will be resolved by the GST council as soon as possible."

In the above reference, Mewar Chamber of Commerce & Industry, representing textile industry of South Rajasthan submit that:-

The Textiles Industry is catering to fulfillment of Basic Clothing needs of People and providing over 105 million jobs especially for the people below the poverty line and rural workers. It also supports agriculture activities as majority of raw material is agro based.

Presently all Textiles goods attract Central Excise Duty till Fibre stage and VAT till Yarn stage. Fabrics are exempt from Vat and Central Excise Duty. In view of the importance of sector in fulfilling basic needs of society and employment generation potential and looking to duties and taxes presently being levied, it is requested that the rate of GST on textiles should be fixed at lower slab of 5%.

If we look at the break up of cost of the final product "Fabric" it works out as under :-

Cost of Fibre	Rs 50.00 including 12% cenvat and 2% CST
	CENVAT and CST around Rs. 6.00 +1.12=7.12
Spinning cost	Rs 15.00 including 2% VAT around Rs 1.40 per meter
Weaving cost	Rs 10.00 NO VAT and Central Excise Duty
Processing cost	Rs 15.00 NO VAT and Central Excise Duty
Other expenses	Rs 10.00 NO VAT and Central Excise Duty (includes Service Tax Component on freight around Rs. 0.23)
Total cost of Fabrics	Rs 100.00
Whole seller Price	Rs 120.00 per meter
Retail Price	Rs 150.00 per meter

Thus, the rate of tax on final product of Rs 150.00 per meter, on present rates works out to be 5.83% hence, we submit that keeping your word "the regime will make things slightly cheaper" the GST rate on textile should be kept at 5% and not 12% as being thought at the highest level in the Committee.

In support of above we submit that:-

India's textiles sector is one of the oldest industries in Indian economy dating back several centuries. Even today, textiles sector is one of the largest contributors to India's exports with approximately 11 per cent of total exports. The textiles industry is also labour intensive and is one of the largest employers. The textile industry has two broad segments. First, the unorganised sector consists of handloom, handicrafts and sericulture, which are operated on a small scale and through traditional tools and methods. The second is the organised sector consisting of spinning, apparel and garments segment which apply modern

machinery and techniques such as economies of scale.

The textile industry employs about 45 million workers and 60 million indirectly. India's overall textile exports during FY 2015-16 stood at US$ 40 billion.

The Indian textiles industry is extremely varied, with the hand-spun and hand-woven textiles sectors at one end of the spectrum, while the capital intensive sophisticated mills sector at the other end of the spectrum. The decentralised power looms/ hosiery and knitting sector form the largest component of the textiles sector. The close linkage of the textile industry to agriculture (for raw materials such as cotton) and the ancient culture and traditions of the country in terms of textiles make the Indian textiles sector unique in comparison to the industries of other countries. The Indian textile industry has the capacity to produce a wide variety of products suitable to different market segments, both within India and across the world.

The Government of India has taken several initiatives to further promote the textile industry like :

- ❑ The Government of India has introduced a mega package "Power TexIndia" for the powerloom sector, which include social welfare schemes, insurance cover, cluster development, and upgradation of obsolete looms, along with tax benefits and marketing support, which is expected to improve the status of power loom weavers in the country.
- ❑ The Ministry of Textiles has signed memorandum of understanding (MoU) with 20 e-commerce companies, aimed at providing a platform to artisans and weavers in different handloom and handicraft clusters across the country for selling their products directly to the consumer.
- ❑ The Government of India has announced a slew of labour-friendly reforms aimed at generating around 11.1 million jobs in apparel and made-ups sectors, and increasing textile exports to US$ 32.8 billion and investment of Rs 80,630 crore (US$ 12.09 billion) in the next three years.

Hence, the lower slab across entire textiles value chain with fibre neutral rate would have following advantages;-

- ❑ The above rate structure with uniform rate across the Value chain will ensure supply chain neutrality as well as Fibre neutrality which are extremely essential for the competitiveness of the Sector.
- ❑ Low & Uniform Tax Rate will
  - ❋ Encourage voluntary compliance
  - ❋ Minimise leakages through exemptions and unorganised sector
  - ❋ Facilitate easy compliance and reduce complexity
  - ❋ Minimise adverse impact on prices
- ❑ Encourage growth of textile sectors and Industry in general especially for new products using fibres – natural or manmade and new technologies.
- ❑ Enhancing competitiveness of Indian manufacturers
- ❑ Smooth transition from current to the future regime.

We humbly appeal your goodself to kindly consider the above and recommend the rate of GST on textiles at lower slab of 5% across entire value chain of Textiles.

With Best Regards

Yours Truely

(CS R.K.Jain)

Hon'y Secretary General

CC: Hon'ble Smt. Smiriti Irani ji, Hon'ble Minister for Textiles, Govt of India, New Delhi.

Hon'ble Smt. Vasundhara Raje ji, Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, with request to kindly recommend the same to the Government of India.

The Chairman, CBEC, New Delhi with the above request.

Shri Subhash Ji Baheria, Member of Parliament, Bhilwara

GST – IMPACT ON TEXTILES & APPARELS

GST – An overview

The Goods and Service Tax ('GST'), considered India's biggest and most historic tax reform is likely to be implemented w.e.f. 1st July 2017. Due to present tax structure, there are multiple of taxes at various point from raw material, manufacture, process and sales. The service sector is also in tax net and variety of services are taxed at different levels, for many of which no credit is available to the manufacturer or service provider or seller. This has resulted into case only economy and generating black money is a big way.

With GST regime we are marching towards One Tax in whole of the Country instead of various State Taxes at different rates. This will also improve business competencies with rewarding the honest and compliant.

Dual GST Structure

GST is levied by both the federal and state or provincial governments whereby a Central Goods and Services Tax (CGST) and a State Goods and Services Tax (SGST) will be levied on the taxable value of every transaction of supply of goods and services.

For within the state (Intra-State) supplies both CGST and SGST shall be levied with CGST Portion payable to Central Government and SGST Portion payable to respective state. For across the state (Inter- State) supplies IGST (CGST + SGST) shall be levied and collected by centre out of which the SGST Portion shall be transferred to respective consumer state

4 Tier rate Structure

A four tier rate GST tax Structure of 5%, 12%, 18% and 28% with lower rates for essential items and the highest for luxury and de- merits goods that would also attract an additional cess, have been decided by the GST Council

- 5% - Essential Goods
- 12% - Standard slab rate
- 18% - Standard Slab rate
- 28% - De-merit and Luxury goods

Textile industry in India

Textile Industry in India is one of key sector in Indian economy with a direct linkage to the overall growth of Indian and global economy. Textile plays a major role in the Indian economy, contributing 14 per cent to industrial production and 4 per cent to GDP. It is also largest employer after agriculture.

The Indian Textile industry is amongst very few industries that is vertically integrated from raw material to finished Products (From fibre to retail). With potential growth opportunities in both the global and the domestic market it has leveraged its strong manufacturing position to achieve considerable expansion.

The Textile and apparel industry can be broadly classified into two segments :

i. Yarn & Fibre (Natural & Man-made)

ii. Processed Fabrics, Ready-made garments & Apparels

Current Tax regime in Textile sector

Most of the raw material and textile products are either exempt or are taxed at a relatively lower rate and are extensively subsidized under different central and state regimes. The textile industry is taxed both under the central and state regime. The following are the indirect taxes applicable to the textile industry

- Central Excise Duty: The Central Government levies excise duty under the Central Excise Act, 1944. The tax is charged on the manufacture of goods and are meant for domestic consumption. Special excise duty and Additional duty of excise are also charged under the said act.
- The domestic textile industry has an optional route to pay zero excise duty across various stages of the value chain, provided they don't claim the Input Tax Credit (ITC) at any stage. Cotton based industry are exempt from payment of excise and apparels have been attracting excise duty at effective rate of 1.2% (@ 2% with abatement @ 40%). Tax payable at the time of removal.
- Value Added Tax (VAT): State VAT is a form of sales tax levied by the state governments on intra-state sale of goods. VAT is applied by the State governments at each stage of sale, with a particular apparatus of credit for the input VAT paid.
- Currently in most of the states VAT on apparels is @ 4-5%. In most of the States textile fabrics exempted from taxation.
- Central Sales Tax (CST): The Central sales Tax is a tax levied by the Union government but collected and retained by the state governments of the originating State on inter-state sale of goods. It is currently charged at the rate of 2% on the value

of sale of goods. Tax payable at the time of sale.

- Entry Tax: Entry tax is an account based tax levied and collected by state governments on entry of goods into a local area for consumption, use or sale therein.
- Customs Duty: Under customs duty different taxes are levied like Basic customs Duty, Additional Customs Duty (CVD), Protecting duty, Anti-dumping duty and Safeguard duty. Custom duty on exports is normally nil rated except for raw cotton and cotton waste, imports are leviable to CVD and special CVD.
- Export Incentives: These are in form of drawback, rebate/ refund of taxes paid and several incentives in the form of scrips which could be sold.

Pertinent issue in Current Taxation

- Break in input tax credit chain: Most of industry, being an SSI, use composition scheme. Numerous transactions in the textiles industry flow from the unorganized to the organized sector and vice versa. Where Regular/Registered Taxpayer are not eligible for Input Tax Credit, thus breaking the Cenvat Credit chain. Input Tax credit paid on the previous transaction is included in the cost of the product making the product costly.
- Small Business Compliance Cost: Composition scheme Taxpayer is hesitant to join Credit chain as it increases the compliance cost of engaging professional to meet their Tax obligation.
- Job work under Central Excise: In terms of the Rule 4(1A) of Central excise rules, every person who gets the goods, falling under Chapter 61 or 62 or 63 of the First Schedule to the Tariff Act, produced or manufactured on his account on job work, shall pay the duty leviable on such goods. Therefore, it is the raw material supplier and not job worker who is liable to excise duty under current regime.
- Differential treatment of Job Work under CENVAT and State VAT:For the purpose of CENVAT, job work units are treated like any other manufacturing unit with job workers paying CENVAT on processed fabrics and getting a credit of excise duty paid on their inputs i.e. grey fabrics. Unlike the CENVAT procedure, the State VAT treats job workers under the Works Contract category, where job worker pay tax on the total value of goods used in processing the fabric like dyes etc. including gross profit. This leads to a difference in tax base with the CENVAT tax base being more than the State VAT tax base.
- Inclusion of all other taxes into the GST: Supply chain of Textile Industry is loaded with input and output across state boundaries to reach the ultimate consumer. Octroi and Entry Tax are the bottlenecks, credit of which are not allowable, thus form the part of the cost. Removal of octroi, entry tax etc. in GST will remove the cascading effect at the distribution stage.

GST on Textile industry – An overview

- Under the GST regime, the concept of manufacture and levy of excise duty would end. Tax would be levied on supply of goods/services whether by a manufacturer or by any other person.
- There would be following three Acts to administer and levy GST in India:- (i) The Central Goods and Services Tax Act. (ii) The State Goods and Services Tax Act. (iii) The Integrated Goods and Services Tax Act.
- Every manufacturer with an aggregate Turnover of more than Rs. 20 Lakhs is liable to registration under GST unlike excise duty where a manufacturer shall be liable for registration if the turnover exceeds Rs 90 Lakhs.
- Composition scheme available to persons whose aggregate turnover not exceeding Rs. 50 Lakhs, i.e. supply not greater than 50 lakhs. Further condition to adopt composition levy are no supply of services, no inter-state supply, no credit to be taken and no supply shall be made through an E- Commerce operator.
- Supply of good shall be the taxable event and tax shall be payable at the (i) The date on which supplier issues an invoice with respect to supply or the last date on which he is required to issue invoice. (ii) The date on which supplier receives the payment with respect to supply, whichever is earlier.

  Or Date of receipt of goods or Date of making payment or Date immediately following 30 days from the date of issue of invoice whichever is earlier.
- Place of supply shall be location of goods at the time at which the movement of goods terminates for delivery to the recipient. The sum and substance of this is that the destination of goods is the place of supply.
- Import, export and supply to SEZ, EOU shall be considered as inter-state Supply
- Import of goods shall be taxed in GST and Tax paid (IGST) on imported goods shall be eligible for credit as input tax credit to the importer.

- Exports physical and supplies to SEZ will be treated as Zero Rated Supplies. No tax will be payable on export of goods. However, credit of input tax credit will be available and the same may be utilized by the exporter for other outward supplies. In the alternative, the exporter may claim refund of corresponding input tax credit. Export benefits like drawback, rebate/ refund would be available.
- As per the MGL, CGST can be used to set-off CGST & IGST, SGST for SGST & IGST and IGST for IGST, CGST & SGST respectively. Therefore, barring fungibility of CGST & SGST all other taxes are fungible.

Impact on Textile industry

An important determinant of the tax incidence under GST will be the GST rate applicable to the textile segments.While the final GST rates are yet to be announced, even at the 12% lower rate recommended by the Dr. Arvind Subramanian Committee, the textile sector is likely to be negatively impacted. The cotton value chain is likely to be the worse affected as it is currently attracting zero central excise duty and tax in inputs may not be more than 2-4%.

In case of manmade fibre industry, presently all raw material attract Central Excise Duty till Fibre stage and VAT till Yarn stage. Fabrics are exempt from VAT and Central Excise Duty and rate on final product works out to be 5-6%.

- Revenue Neutral rate proposed to be higher under GST: Currently, the State VAT is 4.5% on apparels and with 1.2% effective central excise duty on branded garments with MRP of more than Rs 1000, the overall tax incidence on the finished goods, i.e. apparels is lower than 12%, which is the lowest rate being proposed in GST. This would be inspite of credit not being available for all tax/ duties paid in the past.
- Further the apparel retailers will not have sufficient input credits (such as service tax on rent of showrooms) to offset the increased tax liability if the GST is not levied on upstream sectors like yarn and fabrics and will be negative for retailers.
- Since there is a reduced tax advantage of cotton yarn vis a vis man-made yarn, there can be a gradual shift in the domestic textile industry towards manmade fibre. It may be noted that India currently operates with fibre mix of cotton: manmade of 60:40; as against global average of cotton: manmade of 40:60. Manmade inputs today suffer 12.5% + average 4/5% VAT which is a cost. In GST available as credit.
- Duty Drawback to lose relevance : With Input tax credit chain becoming more transparent and integrated, the tax credit for exporters will become easier and full credit of indirect taxes can be claimed; and the duty drawback scheme, which aims to provide credit of indirect taxes could lose relevance under GST. However in the interim it would continue albeit at a lower rate.
- Increase in administrative cost for the textile industry as hitherto most of the activities were out of tax net.
- Improved compliances: An important effect of GST would be to improve compliance. The value chain under the GST will be fully traceable. As a result, ITC claims will have to be backed by full information chain of purchases and sales. Improved compliance will automatically lead to higher revenues for any given rate as long as that rate is not excessively high.

श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत (हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड) नेशनल जियोसाइन्स अवार्ड 2016 से सम्मानित

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के मुख्य प्रचालन अधिकारी (खनन) श्री एल एस शेखावत को 11 अप्रेल 2017 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने नेशनल जियोसाइन्स अवार्ड–2016 से सम्मानित किया।

श्री शेखावत को यह सम्मान खनन क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए नवाचारी प्रयोगों तथा राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए दिया गया है। इस अवसर पर माननीय श्री पीयूष गोयल, माननीय केन्द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कोयला, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा एवं खनन मंत्रालय भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि श्री एल एस शैखावत मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे है। मेवाड चेम्बर के सभी सदस्यों की ओर से श्री एल एस शैखावत को हार्दिक बधाई।

खेमली (उदयपुर) में रेलवे कन्टेनर डिपो प्रारम्भ

भीलवाड़ा से 145 किमी दूर उदयपुर के खेमली में अप्रेल 2017 के अन्तिम सप्ताह में केन्द्रीय रेलमंत्री माननीय श्री सुरेश प्रभु ने विडियों कॉन्फ्रेन्स से रेलवे कंटेनर डिपो का शुभारम्भ किया। इस डिपो की योजना वर्ष 2006–2007 में बनी थी। भीलवाडा के कारोबारियों एवं खनिज व्यापारियों को इसका लाभ प्राप्त होगा। अब तक स्थानीय निर्यातक माल निर्यात के लिए सीधा पोर्ट भेज रहे थे। इससे परिवहन खर्च अधिक आ रहा था। इस कंटेनर डिपो के शुरू होने से भीलवाड़ा जिले के निर्यातको को बड़ी राहत मिलेगी।

COMPLIANCE REQUIREMENT UNDER "RERA 2016" SERIES-1

The Real Estate (Development and Regulations) Rules 2016 is on the verge to be notified by the Rajasthan Government and the compliance requirements of the act are as under:

- ❑ Prior registration requirement of real estate projects where the area of Land proposed to be developed exceeds 500 sq. meters or number of apartments /units proposed to be developed exceeds 8 inclusive of all phase.
- ❑ Existing project also be registered with the authority within time prescribed under the act.
- ❑ Name of registered agent/broker compulsory required to be mentioned.
- ❑ Stiff penalty for non adherence to terms and condition mentioned in Agreement to Sale.
- ❑ Allottee has a right to transfer the cases pending in the consumer forum to the real estate regulatory authority (RERA).
- ❑ Allottee can file case in consumer forum or in RERA on his discretion.
- ❑ Authorities can suo motu prosecute if any false information given and pass order for compensation to the aggrieved party.
- ❑ Adherence to sanctioned plans and project specifications by promoter.

Some of the important provisions of Central Act are as under:

There is compulsory registration for the each & every real estate project and for the real estate agent./broker.

1. The developer will have to maintain separate bank account for each project and 70% of the amount realized will be deposited in that account.Amount from this account can be withdrawn on the basis of certification from Engineer, Architect and from Chartered Accountant in practice.
2. The promoter shall get his project audited within six months after the end of every financial year.
3. If the registration of project is not obtained then project will be revoked.
4. In case the registration of a project is revoked, the regulatory authority will add the name of promoter in list of defaulters appearing in website and the authority will freeze the bank account.
5. Only registered real estate agent/broker will be able to deal in purchase/sale of properties subject to maintenance of prescribed records.
6. In case registration is not taken for a project , there is a penalty of 10% of Project cost and non registration of agent penalty is of Rs.10000 per day of default which may extend to 5% of the estimated cost of property whose purchase or sale was facilitated.

All the current ongoing projects are also required to be registered under the ACT. We have to be proactive so that project gets registered on time and to avoid unnecessary delay.

Penalties in case of non compliance under RERA (series-3)

Sr.	Offence	Penalty
1.	Non-Registration of a project	10% of the estimated cost of real estate project
2.	Not obeying orders or directions in connection with the above offence	Imprisonment for term which may extend upto 3 years with or without fine being 10% of the estimated cost of real estate project.
3.	Providing false information etc.	5% of the estimated cost of real estate project.
4.	Other contraventions	5% of the estimated cost of real estate project
5.	Contravention of any order of RERA	Penalty for every day of default which may cumulatively extend upto 5% of the estimated cost of real estate project.
6.	Contravention of the orders or directions of the appellate tribunal	Imprisonment for term which may extend upto 3 years with or without fine which may cumulatively extend upto 5% of the estimated cost of real estate project.

Penalties in case of non compliance by agent under RERA :

Sr.	Offence	Penalty
1.	Contravention of the applicable provision of the Act.	Rs.10000/- per day of default which may extend upto 5% of the cost of the property whose sale or purchase was facilitated by him.
2.	Contravention of the orders or directions of RERA.	Penalty on a daily basis which may cumulatively extend upto 5% of estimated cost of the property whose sale or purchase was facilitated by the agent.
3.	Contravention of the orders or directions of the appellate tribunal.	Imprisonment for a term which may extend to one year with without fine which may extend upto 10% of estimated cost of the property whose sale or purchase was facilitated by the agent.

हाईटेक एग्रीकल्चर एवं ग्रीन हाउस इण्डस्ट्रीज पर कार्यशाला

दिनांक 22 अप्रेल 2017 को मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से अर्थ एग्रो स्ट्रक्चर प्रा लि एवं धरतीधन एग्रोटेक प्रा लि के सहयोग से पुर रोड स्थित होटल ला इडेन में हाईटेक एग्रीकल्चर एवं ग्रीन हाउस इण्डस्ट्रीज पर कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रुप में बोलते हुए कृषि विभाग से सेवानिवृत संयुक्त निदेशक श्री अशोक शर्मा ने कहाकि हमारे देश ने खाद्ययान एवं अन्य फुड उत्पादन में लगभग आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है। विश्व का 10 प्रतिशत फ्रुट उत्पादन हमारे देश में होता है, चीन के बाद विश्व में भारत सब्जियों का दूसरा सबसे बडा उत्पादक है। लेकिन बढती हुई आबादी की मांग पूर्ति के लिए हमें उत्पादन बढाने के साथ फुड एवं फुड प्रोडक्ट उत्पादन में हो रहे नुकसान या वेस्टेज को रोकना आवश्यक है। हमारे देश में विभिन्न फुड प्रोडक्ट का 10 से 40 प्रतिशत उत्पादन विभिन्न कारणों से खराब होने से उपभोक्ता तक नही पहुँच पाता है। कृषि उत्पादन में पानी का बहुत बडा महत्व है एवं सिंचाई में पानी के वेस्टेज को रोकना देश के सामने सबसे बडा चेलेंज है।

उन्होंने कहाकि देश एवं विदेशों में ताजा सब्जियों एवं कट फ्लावर्स की मांग बढती जा रही है एवं इनका निर्यात हमारी अर्थव्यवस्था में बडा योगदान दे सकता है। यह सब बढती हुई मांग कृषि के पुराने परम्परागत तरीकों से पूरी नही हो सकती है एवं आधुनिक तरीके यथा ग्रीन हाउस कल्टीवेशन, ड्रीप इरिगेशन, हाईब्रीड सीड, आदि का महत्व बढ रहा है। फुड प्रोसेसिंग उद्योग के अभाव में उत्पादक को कृषि उत्पादन का सही मूल्य नही मिल पा रहा है। एक ओर कृषक को आलू के 2 किलो के दाम मिलते है तो वही आलू चिप्स बनकर मल्टीनेशनल कम्पनियों की ओर से 400 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग उद्योग के विकास से ही किसानों को उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त होने लगेगा।

कार्यशाला में अर्थ एग्रो के श्री सुनील गांधी, स्ट्रक्चर डिजाइन विशेषज्ञ श्रभ् रंजन गुप्ता एवं माइक्रो इरिगेशन विशेषज्ञ डॉ विक्रमादित्य वर्मा आधुनिक कृषि से संबंधित, ग्रीन हाउस उपयोग, उनकी डिजाइन, सुक्ष्म जल से सिंचाई आदि विभिन्न विषयों पर अपना प्रजेन्टेशन दिया।

कार्यशाला के प्रारम्भ में अपने स्वागत भाषण में चेम्बर के मानद महासचिव श्री आर के जैन ने कहाकि मेवाड चेम्बर की ओर से कृषि एवं फुड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री के क्षेत्र में पहली कार्यशाला का आयोजन किया गया है। देश में कृषि में मुनाफा या लाभ घटता जा रहा है एवं इसी वजह से कृषक एवं अन्य ग्रामीणजन कृषि को जोडकर अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे है। कृषि में लाभ नही होने के साथ यह क्षेत्र बहुत श्रम वाला है। हरित क्रांति के साथ देश में कृषि के लिए पानी की मांग भी बहुत बडी है, जिसकी आपूर्ति लगभग कठिन होती जा रही है। कृषि में पानी की बचत ही आपूर्ति में सहायक होगी। साथ ही आधुनिक तकनीकी के उपयोग से हम इस क्षेत्र में श्रम की लागत को घटा सकते है। हमारे देश के कृषि विज्ञानिको एवं इंजिनियरों ने आधुनिक कृषि, उत्पादन बढाने के लिए हाईब्रीड सीड के विकास में बडी सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के तौर पर इन्ही के कारण हम कपास उत्पादन में विश्व में दूसरे नम्बर पर पहुँचे है। इस कार्यशाला में आधुनिक कृषि उद्योग के बारे में तकनीकी जानकारी, जिले में फुड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री को आगे बढाने में सहायक होगी। कार्यशाला की अध्यक्षता चेम्बर के पूर्वाध्यक्ष डॉ पी एम बेसवाल ने की। कार्यशाला में बडी संख्या में चेम्बर के सदस्यों के अतिरिक्त आमजन उपस्थित थे।

POLICE STATION AT INDUSTRIAL AREA : SONIYANA

Mewar Chamber have been approached by many member industrial units situated adjacent to Naga Ka Khera Road, Village: Soniyana,Teh: Gagarar, Dist.: Chittorgarh that in their industrial units anti-social elements are causing severe disturbance/nuisance & infringement/infiltration into the Industries and due to regular threatening by above bad elements, the industries situated in above Industrial area are facing severe problem in operation/carrying out manufacturing activities.

These industries are set-up in the above area in compliance of MOU made with the Government of Rajasthan in Resurgent Rajasthan Partnership Summit-2015 held at New Delhi on 06.08.2015 and to set-up above plant they have already invested Rs. 116 Crores and more than 55O workers and staff are working in their Plant.

Mewar Chamber has represented this matter to the Hon'ble Minister for Home, Govt of Rajasthan, District Collector & District Supdt of Police Chittorgarh.

भारतीय अर्थव्यवस्था परिवर्तन के शिखर पर

एक दशक के बाद मई 2014 में एनडीए सरकार के कार्यभार संभालने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था आज एक अनुकरणीय मामला प्रस्तुत कर रही है कि किस प्रकार बिना किसी हायतौबा मचाए प्रभावी रूप से कार्य किया जा सकता है। सरकार ने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और यह बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016, रीयल इस्टेट सेक्टर और पिछले नवंबर में कालेधन धारकों पर एक बड़ी कार्रवाई के रूप में पांच सौ और एक हजार रुपये के बड़े नोटों के विमुद्रीकरण सहित बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्र में बड़े आर्थिक सुधार लाने में समर्थ है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत दुनिया में एक सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहा। अनंतिम अनुमानों के अनुसार 2015–16 में सकल घरेलू उत्पाद में 7.9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि 2014–15 में यह 7.2 प्रतिशत रही थी। यह वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अधीन एनडीए सरकार का शुरूआती वर्ष था। पहले ही वर्ष में अर्थव्यवस्था को विरासत में मिले मुद्दों को सहन करना पड़ा और पिछली सरकार द्वारा विरासत में मिली गड़बड़ी को भी साफ करना पड़ा।

इसी दौरान 2016–17 के लिए जीडीपी में बढ़ोत्तरी के दूसरे अग्रिम अनुमान को 7.1 प्रतिशत आंका गया है। रीयल सेक्टर गतिविधियों के मामले में कुछ विस्थापन हो सकते हैं। लेकिन मुद्रा सुधार कदम से भारतीय अर्थव्यवस्था को कम नकदी प्रणाली, कर अनुपालन में बढ़ोत्तरी और आतंक वित्त पोषण की स्रोत नकली मुद्रा के खतरे को न्यूनतम करने से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह याद रखने की जरूरत है कि सरकार के पहले दो वर्षों में एक के बाद एक सूखा पड़ने के कारण कृषि क्षेत्र के सामने गंभीर संकट पैदा हुआ और इस कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले दो वर्षों में कमजोर कृषि विकास और लगातार तीसरे वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में उत्साहहीन वृद्धि होने से भी अर्थव्यवस्था की समग्र विकास गति कमजोर नहीं हुई है, बल्कि यह अब सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित 60 प्रतिशत से भी अधिक है।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उनकी वैश्विक जोखिम मानदंडों के अनुरूप पूंजी जरूरतों को पूरा करने और क्रेडिट वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इन बैंकों में पूंजी लगा रही है। किसानों को लागत प्रभावी ऋण देने और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिट की पहुंच बढ़ाने सहित गरीबों को आवास ऋण देने के प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अभी हाल में की गई घोषणाओं से अर्थव्यवस्था से गरीब तबकों के लिए संस्थागत ऋण के दायरे का विस्तार होगा। इसके साथ–साथ उत्पादक गतिविधियों के लिए लघु उद्यमियों के लिए संरक्षित माइक्रो क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) सक्रिय है। व्यक्तियों के लिए 'आधार' द्वारा मजबूत की गई बायोमैट्रिक आधारित विशिष्ट पहचान प्रणाली और डिजिटल भुगतान तंत्र के तेजी से विस्तार के लिए सरकार के वित्तीय समावेशन के प्रयासों को गति प्रदान करेगी।

हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की नीति को व्यापक रूप से उदार बनाने के कारण रोजगार और नौकरियों के सृजन में बढ़ावा मिल रहा है। एक नकारात्मक छोटी सूची को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र अब स्वचालित स्वीकृति मार्ग अपना रहे हैं। भारत अब एफडीआई के लिए विश्व की एक पूर्ण रूप से खुली अर्थव्यवस्था बन गया है। अप्रैल–दिसंबर, 2016–17 के दौरान सकल एफडीआई प्रवाह बढ़कर 31.18 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 27.22 बिलियन अमरीकी डॉलर था। आर्थिक मूल सिद्धांतों की बढ़ती हुई ताकत ने भारत को निवेशकों के लिए एक प्रिय गंतव्य स्थल बना दिया है।

24 मार्च, 2017 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 367.93 बिलियन अमरीकी डॉलर था। वर्ष 2014–15 और 2015–16 में चालू लेखा घाटा (सीएडी) क्रमशः 1.3 प्रतिशत और 1.1 प्रतिशत रहना इसके अन्य अनुकूल बिंदु हैं।

अर्थव्यवस्था की सार्वजनिक निवेश जरूरतों और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों पर व्यय करने के बारे में कोई समझौता किए बिना राजकोषीय समेकन के स्थिर मार्ग को अपनाते हुए भारत का सकल वित्तीय घाटा (जीएफडी) वर्ष 2016–17 में 3.5 प्रतिशत रहा। वर्ष 2017–18 के लिए जीएफडी 3.2 प्रतिशत आंका गया है, जिसके साथ आगामी वर्ष में इसे 3 प्रतिशत अर्जित करने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। सुस्त निजी निवेश और कम वैश्विक विकास को देखते हुए अधिक सार्वजनिक व्यय की बढ़ती हुई जरूरतों के कारण सार्वजनिक निवेश में अत्यधिक कटौती को रोकने के लिए वित्तीय समेकन की दिशा में मजबूत दृष्टिकोण को तर्कसंगत रूप से अपनाया जा रहा है।

केंद्रीय बजट 2017–18 में बुनियादी ढांचे के साथ–साथ ग्रामीण, कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए संसाधन के आवंटन में काफी बढ़ोत्तरी की गई है। सरकार व्यय और विमुद्रीकरण के कारण बैंकों में जमा की गई भारी धनराशि से प्राप्त उच्च कर प्राप्तियों की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देकर वित्तीय लचीलेपन को जारी रखेगी। भारत एक जुलाई, 2017 से वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) लागू करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। जीएसटी से कराधान दक्षता में सुधार सुनिश्चित होगा तथा व्यापार करने में आसानी होने से भारत में एक साझा बाजार उपलब्ध होगा।

वर्ष 2014 से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता बढ़ाने के लिए मजबूत संरचनात्मक सुधारों को लागू करने के लिए व्यवस्थित और स्थिर प्रयास किए हैं। वस्तु और सेवाकर अधिनियम, आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं की लक्षित आपूर्ति) अधिनियम २०१६ सब्सिडियों को युक्तिपूर्ण बनाना और नये कॉरपोरेट दिवालियापन ढांचे के लिए इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड २०१६ अधिनियमन, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) सहित दूरगामी सुधार शुरू किए गए हैं।

अन्य विशिष्ट नीतिगत पहलों में पीपीपी के लिए हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल लागू करना, खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति की घोषणा और निर्माण क्षेत्र में मध्यस्थता में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को निर्देश देना शामिल हैं। इसके अलावा

व्यापार कार्य को आसान बनाने में भारत की रैंकिंग में लगातार प्रगति, भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम मेक इन इंडिया से नई प्रकियाओं, नये बुनियादी ढांचे, नये क्षेत्रों और उद्यमी उत्साह को बढ़ाना देने की नई मानसिकता में लगातार प्रगति हुई है। भारत निश्चित रूप से प्रमुख बदलाव के शिखर की ओर अग्रसर है। **जी. श्रीनिवासन**

'लेखक द हिंदू समूह के पूर्व उप–संपादक हैं और अब स्वतंत्र रूप से आर्थिक पत्रकार के रूप में काम करते हैं और दिल्ली में रहते हैं। इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं **साभार–पीआईबी**

गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने की परंपरा का अंत

ग्रीस के प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा था कि 'अच्छी शुरुआत आधी सफलता होती है'। सरकारी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने की संस्कृति को खत्म करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया निर्णय इस दिशा में लड़े जा रहे युद्ध के खिलाफ एक अच्छी शुरुआत है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार 19 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री सहित विभिन्न वीआईपी गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों पर लाल एवं अन्य रंगों की बत्तियां लगाने की परंपरा को खत्म करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को लिए जाने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि 'प्रत्येक भारतीय नागरिक खास है, प्रत्येक भारतीय नागरिक वीआईपी है।'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वाहनों के ऊपर लगी लाल बत्ती को हटाने का निर्णय लिया। सरकार का मानना है कि वाहनों के ऊपर लगी लाल बत्ती से वीआईपी संस्कृति का प्रदर्शन होता है, और एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की किसी भी संस्कृति के लिए स्थान नहीं है। वाहनों के ऊपर लगी इन लाल बत्तियों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। हालांकि एंबुलेंस, दमकल आदि आपातकालीन और राहत कार्यों के अंतर्गत सेवा कार्यों में लगे वाहनों पर इस तरह की बत्तियों को इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। इस निर्णय के मद्देनजर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नियमों में आवश्यक संशोधन करेगा। यह बात केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी संक्षिप्त बयान में कही गई। तत्काल, अगले ही दिन गुरुवार 20 अप्रैल 2017 को इस संबंध में राजपत्रित अधिसूचना (गैजेट नोटिफिकेशन) जारी कर दी गई।

इसके तुरंत बाद यह टेलीविजन समाचार चैनलों और समाचार पोर्टल्स पर बड़ी खबर के रूप में दिखने लगी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर इस खबर के संबंध में खुशनुमा संदेशों की झड़ी लग गई। वाहनों से लाल, नीली, ऑरेंज (नारंगी) आदि बत्तियों को हटाने की खबर जैसे ही देशभर में फैली, तो जिन लोगों को इस तरह की बत्तियों का उपयोग करने की अनुमति थी, उनमें से कई वीआईपी ने तुरंत प्रभाव से अपने वाहनों से बत्ती उतारते हुए फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया आदि पर अपलोड कर दी और हजारों लोगों तक यह संदेश पहुंचाया कि वे कोई विशेष व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज का ही एक हिस्सा हैं और समाज के अन्य लोगों की तरह ही आम नागरिक हैं। वाहनों से बत्तियों को हटाकर वीआईपी संस्कृति को खत्म करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के संदेश को आश्वासन के रूप में देखा जा सकता है, एक वादे के रूप में देखा जा सकता है, देश में बदलाव लाने वाले एक संदेश के रूप में देखा जा सकता है और इस संदेश को देशभर में भेदभाव खत्म करने के रूप में भी देखा जा सकता है।

सर्वोच्च अदालत का फैसला

सरकार ने दिसंबर 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को आगे बढ़ाते हुए वाहनों पर लगने वाली लाल एवं अन्य रंगों की बत्तियों को हटाने के बारे में यह निर्णय लिया। इस फैसले में कानूनों में संशोधन कर, वाहनों पर लगने वाली लाल बत्ती के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। वीआईपी संस्कृति के बारे में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि "यदि सत्ता कुछ व्यक्तियों तक केन्द्रित रहती है, तो सत्ता को हासिल करने का लालच लोकतंत्र के मूल्यों को खत्म कर देगा। हमने पिछले चार दशकों में जो किया है वह निश्चित रूप से हमारी स्थापित राजनीतिक प्रणाली को झटका पहुंचाएगा। इसके सबसे बेहतर उदाहरण, छोटे से लेकर बड़े सार्वजनिक प्रतिनिधियों और विभिन्न कैडरों के नौकरशाहों सहित विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा वाहनों पर लाल बत्ती आदि का उपयोग किया जाना है। लाल बत्ती सत्ता को प्रदर्शित करती है और जिनके पास इस तरह की बत्तियों को उपयोग करने की सुविधा है और जिनकी पास ऐसी सुविधा नहीं है, उनके बीच बड़े अंतर को दर्शाती है।

इस मामले में न्यायालय द्वारा गठित एमिकस क्यूरी ने अदालत को बताया था कि लाल बत्ती लोगों के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया था, जो लोग इस तरह की बत्ती का उपयोग करते हैं वे खुद को सामान्य लोगों से अलग एवं बेहतर श्रेणी में समझते हैं। उन्होंने न्यायालय को यह भी बताया कि, सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती का व्यापक उपयोग उन लोगों की मानसिकता को प्रतिबिम्बित करता है, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश सरकार की सेवा की थी, और देश के आम लोगों को गुलाम डराने–धमकाने का प्रयास करते थे। **निवेदिता खांडेकर**

लेखिका दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। वह पर्यावरण, विकास एवं सामाजिक मुद्दों पर लिखती हैं। उपर्युक्त लेख में अभिव्यक्त विचार, लेखिका के निजी विचार हैं। **साभार–पीआईबी**

with best compliments from

R.K.Jain & Associates

Company Secretaries

Experts in

GST

Corporate Laws

Economic Laws

&

Securities Laws

Office at
5-A-25, R C Vyas Colony
Bhilwara 311001 (Raj.)
Phone 01482-225844
Cell +91 9829125844, 9414110844
Email: rkjainbhilwara@gmail.com

पोस्टल रजि नं. भीलवाड़ा/254/2015–2017 प्रेषण: प्रत्येक माह की 7 तारीख अधिकृत डाकघर: प्रधान डाकघर, भीलवाड़ा

JK Cement LTD.

1974 से
राष्ट्र के निर्माण में भागीदार

मज़बूत इमारतें बनाना एक बात है। जबकि मज़बूत रिश्ते बनाना अलग बात है। साढ़े तीन दशक से अधिक समय से, जे.के. सीमेंट लिमिटेड अपने ग्राहकों, चैनल साझेदारों, और स्टेकहोल्डरों को उनकी आशाओं से अधिक मूल्य का सृजन करके उनके भरोसे की नींव को और मज़बूत बनाने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। यह अपने पितृ समूह– जे.के. संगठन के उच्च मानदंडों की कसौटी पर खरा उतरा है।

हमारी यूनिट्स जे.के. सीमेंट वर्क्स, नीबांहेड़ा । जे.के. सीमेंट वर्क्स, मांगरोल । जे.के. सीमेंट वर्क्स, गोटन । जे.के. सीमेंट वर्क्स, मुधोल । जे.के. व्हाईट सीमेंट वर्क्स, गोटन

सेंट्रल मार्केटिंग ऑफिस : उत्तर (व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट) : नई दिल्ली दक्षिण (ग्रे सीमेंट) बेलगाम, कर्नाटक
जे.के. सीमेंट लि.–पंजीकृत कार्यालय : कमला टावर, कानपुर–208001, उत्तर प्रदेश, भारत टेली: 05122371478–81 फैक्स: 0512 2399854 वेबसाइट : www.jkcement.com

हमारे ब्राण्ड्स

J.K. SUPER CEMENT

J.K. CEMENT SARVA SHAKTIMAN

JK WHITE CEMENT THE PERFECT WHITE

JK WALL PUTTY White Cement Based Putty

JK WATER PROOF THE PERFECT SEAL

स्वत्वाधिकारी मेवाड़ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री भीलवाड़ा के लिए सम्पादक–प्रकाशक सूर्यप्रकाश नाथानी द्वारा अलका ग्राफिक्स एण्ड ऑफसेट प्रिन्टर्स, भीलवाड़ा से मुद्रित एवं मेवाड़ चेम्बर भवन नागौरी गार्डन, भीलवाड़ा से प्रकाशित। सम्पादक–सूर्यप्रकाश नाथानी फोन : 01482–220908 (ऑ.)